ई-श्रम पोर्टल

प्रलिमि्स के लयि

ई-श्रम पोर्टल

मेन्स के लयि

ई-श्रम पोर्टल का महत्त्व और भारत में असंगठति क्षेत्र की स्थति, सरकार द्वारा इस संबंध में शुरू की गई पहलें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने 'ई-श्रम पोर्टल' लॉन्च कयिा है।

प्रमुख बदिु

- **'ई-श्रम' पोर्टल के वषिय में:**
  - **उद्देश्य:** देश भर में कुल 38 करोड़ असंगठति श्रमकिों जैसे- नरि्माण मज़दूरों, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना।
    - इसके तहत श्रमकिों को एक 'ई-श्रम कार्ड' जारी कयिा जाएगा, जसिमें 12 अंकों का एक वशिष्टि नंबर शामलि होगा।
    - यदि कोई कर्मचारी 'ई-श्रम' पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शकिार होता है, तो मृत्यु या स्थायी वकिलांगता की स्थति में 2 लाख रुपए और आंशकि वकिलांगता की स्थति में 1 लाख रुपए का पात्र होगा।
  - **पृष्ठभूमि:** ई-श्रम पोर्टल का गठन सर्वोच्च न्यायालय के उस नरि्णय के बाद कयिा गया है, जसिमें न्यायालय ने सरकार को जल्द-से-जल्द असंगठति श्रमकिों की पंजीकरण प्रक्रयिा को पूरा करने का नरि्देश दयिा था, ताकि वे वभिन्नि सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली कल्याणकारी सुवधिाओं का लाभ उठा सकें।
  - **क्रयिान्वयन: देश भर में असंगठति कामगारों के पंजीकरण का कारण संबंधति राज्य/ केंद्रशासति प्रदेश की सरकारों द्वारा कयिा जाएगा।**
- **भारत में असंगठति क्षेत्र की स्थति:**
  - श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने असंगठति श्रम बल को चार समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत कयिा है:
    - **पेशा/व्यवसाय**
      - इसके तहत छोटे एवं सीमांत कसिान, भूमहिीन खेतहिर मज़दूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन और बीड़ी बनाने के कार्य में संलग्न लोग शामलि हैं।
    - **रोज़गार की प्रकृति:**
      - संलग्न खेतहिर मज़दूर, बंधुआ मज़दूर, प्रवासी श्रमकि, ठेका और आकस्मकि मज़दूर इस श्रेणी में शामलि हैं।
    - **वशिष रूप से व्यथति श्रेणी**
      - इस श्रेणी में ताड़ी टैपर, मैला ढोने वाले, सरि के भार के वाहक, पशु चालति वाहनों के चालक, लोडर और अनलोडर शमलि हैं।
    - **सेवा श्रेणी**
      - इसमें दाई, घरेलू कामगार, मछुआरे, महलिाएँ, नाई, सब्जी और फल वक्रिेता, समाचार पत्र वक्रिेता आदि शामलि हैं।
  - **'आवधकि श्रम बल सर्वेक्षण'** (PLFS 2018-19) के अनुसार, 90% श्रमकि यानी 465 मलियिन में से 419 मलियिन श्रमकि अनौपचारकि क्षेत्र में संलग्न हैं।
  - महामारी के दौरान रोज़गार की मौसमी प्रकृति और औपचारकि कर्मचारी-नयिोक्ता संबंधों की कमी के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनौपचारकि श्रमकिों को सबसे अधकि नुकसान हुआ है।
- **असंगठति क्षेत्र का समर्थन करने के लयि पूर्व में की गई पहलें:**
  - प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)
  - श्रम सुधार
  - प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)

- PM स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स के लिये सूक्ष्म ऋण योजना
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- PM गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
- वन नेशन वन राशन कार्ड
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग को विश्व बैंक की सहायता

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/e-shram-portal